कार्यालय प्रधान मख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर

कमांक:–एफ ( )/वसु/प्रमुवसं/2015–16/ दिनांक :–

विकास-I
02/9/2016
3512
2/9/16

कार्यालय–आदेश

वनमण्डल जयपुर के अधीन आरक्षित वन खण्ड झालाना डूगंरी खोहनागोरियान–93 में शहरवासियों एवं पर्यटकों को प्रकृति भ्रमण एवं वन्यजीवों को देखने का अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस कार्यालय के आदेश कमांक एफ ( ) /वसुं/प्रमुवसं/2015–16/1963–69 दिनांक 24.02.2016 द्वारा नियंत्रित प्रवेश (सफारी) की व्यवस्था प्रारम्भ की गई थी। उक्त व्यवस्था का मार्च से अगस्त 2016 तक संचालन के उपरान्त एवं भ्रमणार्थियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार वन क्षेत्र व भ्रमणार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए उक्त व्यवस्था में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

1. प्रवेश करने वाले वाहनो की अधिकतम संख्या :–

झालाना वन क्षेत्र में विगत छः माह में पर्यटको के प्रवेश को देखते हुये एवं वन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, रूट्स की लम्बाई, वन क्षेत्र एवं वन्यजीवों के प्रबन्धन आदि को दृष्टिगत रखते हुए **अधिकतम 20 वाहन प्रतिदिन प्रतिट्रिप की सीमा निर्धारित की जाती है।** इससे अधिक वाहनों के प्रवेश की अनुमति उप वन संरक्षक, जयपुर द्वारा दी जा सकेगी। झालाना वन क्षेत्र में वर्तमान में मुख्य रूप से 2 ट्रैक्स संचालित है अतः उक्त व्यवस्था अनुसार एक समय में एक ट्रैक पर अधिकतम 10 वाहन मूव कर सकेंगे।

2. झालाना वन क्षेत्र में भ्रमण हेतु गाईड की व्यवस्था लागू करना :–

वर्तमान में झालाना वन क्षेत्र में पर्यटको द्वारा निजी वाहनों से भ्रमण किया जाता है। पर्यटको को वन क्षेत्र के रूटस एवं वन भ्रमण के नियम/बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी नही होने के कारण निजी वाहनों के निर्धारित मार्ग के अतिरिक्त क्षेत्र में प्रवेश करने की सम्भावना रहती है जो कि वन क्षेत्र एवं पर्यटको की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नही है। पर्यटक बिना किसी गाईड के वन क्षेत्र में भ्रमण करते है जिसके कारण उन्हे वन क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों, वन्यजीव प्रजातियों एवं प्रकृति के अन्य पहलुओं की समुचित जानकारी नही हो पाती है।

पर्यटको को उक्त वन क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके इसके लिये गाईड की व्यवस्था किया जाना उचित होगा। अतः झालाना वन क्षेत्र में भी रणथम्भौर टाईगर रिजर्व हेतु निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप नेचर गाईड उपलब्ध कराया जा सकेगा ।

3. **झालाना आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश दरें :–**

झालाना आरक्षित वन क्षेत्र में पैंथर का विचरण होने एवं इनकी अच्छी संख्या होने के कारण कई भ्रमणार्थी बारम्बार पैंथर को देखने के उदेद्श्य से ही प्रवेश करते है। विगत माहों के दौरान कुछ पर्यटक सफारी के नियमों का उल्लघंन करते हुये भी पाये गये है। चूंकि पैंथर हेबिटाट काफी संवेदनशील होता है, अतः भ्रमणार्थियों की संख्या सीमित रहे तथा वन क्षेत्र पर अधिक दबाव नहीं पड़े इसको ध्यान में रखते हुए झालाना वन क्षेत्र में प्रवेश की दरें निम्नानुसार लागू की जाती है:–

(अ) वाहनों हेतु:–

Types of Vehicles	Entrance Fee (in Rs.)	Eco-dev. Surcharge (in Rs)	Total fee per vehicle per visit (in Rs)
(a) Bus	150	450	600
(b) Jeep/Car/mini-Bus/Canter	75	300	375
(c) Gypsy	200	600	800

(ब) व्यक्तियों हेतु:–

Category	Entrance Fee (in Rs.)	Eco-dev. Surcharge (in Rs)	Total fee per Person per visit (in Rs)
(a) Indian Citizens	40	60	100
(b) Non- Indian Citizen	350	450	800
(c) Students (Indian)	18	12	30

4. **पर्यटको हेतु पैदल/साईकिल से भ्रमण की अनुमति नही होगी :–**

चूंकि झालाना वन क्षेत्र में पैंथर का विचरण होता है तथा इनकी काफी संख्या इस क्षेत्र में उपलब्ध है। अतः यह क्षेत्र विजिट्र्स की सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुए अति संवेदनशील है। वर्तमान सफारी व्यवस्था के लागू होने के पश्चात् कई विजिट्र्स द्वारा भी इस सम्बन्ध में फीडबैक दिया गया है तथा कई समाचार पत्रो में भी पैदल भ्रमण की अनुमति दिये जाने पर आपत्ति उठाई गई है। अतः भ्रमणार्थियों की सुरक्षा

को दृष्टिगत रखते हुए पैदल ट्रैंकिग/साईकिल से भ्रमण की व्यवस्था को समाप्त किया जाता है।

5. झालाना आरक्षित वन क्षेत्र की विज्ञप्ति में वर्णित स्थानीय गांवों के निवासियों को प्रदत्त अधिकारी यथावत रहेगें एवं धार्मिक स्थलों पर पूजा/अर्चना के लिए आने जाने की सुविधा रहेगी, इनसे कोई प्रवेश शुल्क नही लिया जावेगा।

6. झालाना वन क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष के दौरान किसी अवधि विशेष में भ्रमणार्थियों का प्रवेश बन्द करने एवं साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था करने हेतु उप वन संरक्षक जयपुर अधिकृत होगें।

निजी वाहनों के स्थान पर अनुबंधित वाहनों को प्रोत्साहित किया जावेगा, जिसके लिये पंजीकरण आदि की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जावे।

उक्त आदेश दिनांक 04.09.2016 से प्रभावी होगे।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF)
राजस्थान जयपुर

कमांकः–एफ ( )/वसु/प्रमुवसं/2015–16/ 4647–52 दिनांक :– 2/9/16

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय वन पर्यावरण एवं खान मंत्री राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक जयपुर।
5. उप वन संरक्षक जयपुर।
6. अध्यक्ष, ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति खोहनागोरियान जयपुर

उप वन संरक्षक(वन सुरक्षा)
अरण्य भवन,जयपुर